

5/18
22/5/18

2018/00175

BK
22/5/18

RCMS
F

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

जोधपुर

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम आशीन शाह की ठाणी की जमाबन्दी

संवत् 2073-7076 खाता संख्या 109 में -

निवेदन है कि ग्राम आशीन शाह की ठाणी के जमाबन्दी खाते संख्या 109 के मेरा नाम कर्मा पत्नी बाधारा राम लिखा हुआ है जब कि आधार आमाशाह गणेशन कार्ड जो पूरे पहचान पत्र में मेरा सही नाम दर्जना देवी है।

इसके लिए कर्मा पत्नी बाधारा राम के खान पर दर्जना देवी पत्नी बाधारा राम को कृपा करें

मेरे पिता श्री बाधारा राम पुत्र बालुराम ज्योति मेघवाल निवासी गौहर का बालक वाला शपथपत्र के समान करता है कि एजना पत्नी बाधारा राम के अधिकार फरमान की कृपा करें पत्नी है जिसका वास्तविक नाम एजना है तथा खान कार्ड पहचान पत्र आधार कार्ड में एजना पत्नी बाधारा राम के नाम से एजना प्रार्थी है मैं राजस्व रिकॉर्ड में कर्मा बाधारा राम के खान पर एजना बाधारा राम की सकारिथ करना है।

एजना

जोतरण



क्र. 4/01

प्रकरण सं 65/18
22.5.18

Sir,

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

मौजा मागतशाह की ढाणी की जमावटी चौकाला सेवा 2073-2074
कारा सेवना 109 में खोजदार करण पत्नी कादराम नाम दर्ज है जो सही
नहीं है। सुखर दस्तोके के द्वारा मागतशाह, कायाल, धपु, राशत बर
में सही नाम एजग देवी पत्नी कादराम अंकित है।

श्री: करण पत्नी कादराम के स्थान पर सही नाम एजग देवी
पत्नी कादराम को ही लिखा जाना चाहिए।

22/5/18

पटवारी गोहड़ का तला

धनुषा 22/5/18
BR श्री

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

पटवारी व भू.अ. निवेदन की जांच रिपोर्ट पर
सह खातेदारों के बयानों एवं ललाम साक्ष्य प्रमाणों
के आधार पर जांचनी का नाम "करमा जी कादराम"
के स्थान पर "एजना जी कादराम" दुरुस्त
करने का आदेश की जागी है

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

तहसीलदार सेड़वा की जांच रिपोर्ट एवं सह खातेदारों के बयानों
एवं ललाम साक्ष्य प्रमाणों के आधार पर जांचनी का नाम एजग देवी
मागतशाह की ढाणी सेवा सं. 109 के करमा जी कादराम नाम गलत
दर्ज है सही नाम एजना जी कादराम है जावली का अद्यतन व अद्यतन
लिखा गया। तहसीलदार सेड़वा का आदेश दिया जाता है कि जावली का नाम
करमा जी कादराम के स्थान पर एजना जी कादराम दुरुस्त कर
अद्यतन लिखा जावे। पत्रावली के सल सुधार हेतु शास्त्र
इफतार है।



उपखण्ड अधिकारी
चौहटन